Speed post/ तीव्र डाक

भारतसरकार खानमंत्रालय भारतीय खानब्यूरो क्षेत्रीय खाननियंत्रक काकार्यालय माखुपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002 ई—मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in





Violation letter/उल्लंघन पत्र

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

Mine Code: 38RAJ14002

संख्या : RAJ/JSL-13/Lst-01/Vol-02

दिनांक :

07.03.2022

प्रेषित ; Mine Agent,

Sanu-I Limestone Mine,

M/s Rajasthan Mines and Mineral Limited.

8-West Patel Nagar,

District: Jodhpur (Rajastaha),

PIN: 342001.

(e-mail: sanumines@yahoo.in, jodhpur.rsmml@rajasthan.gov.in, info.rsmml@rajasthan.gov.in,

dsacharya2011@gmail.com)

विषयः Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your SANU-I Limestone Mine in Jaisalmer district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 09/12/2022 and 10/02/2022 by undersign in presence of Sri Mahipal Jugtawat, Mine Manager, Sri D.S. Acharya, Geologist and Sri Mayank Rao, Mining Engineer of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Modified Mining Plan
	approved on 05/12/2018 to the extent given below:
	(1) An area of 20.85 hectare has been planted against the target of 25 hectare during the year
	2020-21.
	(2) A total of 5000 number of saplings have been planted against the target of 6500 number
	of saplings.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकारा को खनन पट्टे की समप्ति की सिफारिश ।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ई)मेल द्वारा(2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर। 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, Jaisalmer, (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो